

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

- 2:- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) है.
आरक्षित वन भूमि- — 6.133 हे.
सिविल एवं सोयम वन भूमि:- 1.187 हे.
निजी भूमि — 3.288 हे.
- 3:- प्रस्तावक विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग
- 4:- वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
- 5:- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:- ☒ हों / ☐ नहीं
- 6:- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- ☒ हों / ☐ नहीं
- 7:- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। ☒ हों / ☐ नहीं
- 8:- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- ☒ हों / ☐ नहीं,
- 9:- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:- ☒ हों / ☐ नहीं,
- 10:- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / संलग्न है:- ☒ हों / ☐ नहीं
- 11:- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒ हों / ☐ नहीं
- 12:- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावित विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। ☒ हों / ☐ नहीं
- 13:- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:- ☒ हों / ☐ नहीं,
- 14:- क्या वृक्षों की संख्या अनुसार हरियाली का घनत्व सही है:- ☒ हों / ☐ नहीं
- 15:- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है- ☒ हों / ☐ नहीं

- 16:- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है:- हाँ/ नहीं
- 17:- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/ परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है:- हाँ/ नहीं
- 18:- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है:- हाँ/ नहीं
- 19:- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:- हाँ/ नहीं
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है- हाँ/ नहीं N.A
- 20:- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:- हाँ/ नहीं
- 21:- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें):- प्रस्तावित मोटर मार्ग नवनिर्माण परियोजना है जो कि घाट-बाजबगड़-तेलाण के किमी 0 12 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होना है इससे पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु जारी भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न है।
- 22:- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है:- हाँ/ नहीं
- 23:- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है:- हाँ/ नहीं
- 24:- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है:- हाँ/ नहीं
- 25:- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय:- हाँ/ नहीं
- 26:- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:- हाँ/ नहीं
- 27:- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय):- संलग्न
- 28:- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 है. से

अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):— नहीं

29:- मानचित्र व वार चार्ट में एक रूपता है:-

हाँ/ नहीं

30:- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण -पत्र संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

31:- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण -पत्र प्रस्ताव में संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

32:- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है:-

हाँ/ नहीं

33:- यदि वन भूमि लीज पर दी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र, संलग्न है:-

लागू नहीं

34:- वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

35:- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है:-

हाँ/ नहीं

36:- क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र -संलग्न:-

हाँ/ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट शीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण -पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।



अमीन
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग